

राजस्थान सरकार
निदेशालय पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायक पुरी पुलिस थाने के सामने), जयपुर

क्रमांक : संस्था/एफ 5(01)पवि/2018/

दिनांक:-

—: आज्ञा :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड- द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 की प्रतियोगी में सफल घोषित होने के फलस्वरूप परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer- Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/- प्रतिमाह एवं परीवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	मेरिट नं.	रोल नं.	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	श्रेणी	जन्म तिथि	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1.	11	465523	श्री अरूण प्रकाश खत्री	श्री सत्य प्रकाश खत्री	GE	21.06.1982	पर्यटक स्वागत केन्द्र, बीकानेर
2.	43	396333	श्री भैरु लाल	श्री द्वारका प्रसाद	GE	02.10.1994	पर्यटक स्वागत केन्द्र, अजमेर

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं:-

1. उक्त नियुक्ति डी.बी. सिविल याचिका संख्या-1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य एवं डी.बी. स्पेशल रिट अपील संख्या-965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं अन्य विविध याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
2. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार सम्भालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
4. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी.ओबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159दिनांक09.09.2015 पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2016 एवं प011(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/ सामान्यअवि /2011/6899-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
5. उक्त नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम तथा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अध्यधीन होगी।
6. परीवीक्षा काल (Probation Period)) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होंगी।
7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि

- कोई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
8. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड-II के पद पर पै— मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन उस पर अन्य भत्ते देय होंगे ।
 9. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लिपिक ग्रेड-II प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में पर्यटन विभाग हेतु योग्यता सूची के अनुसार उपरोक्त योग्यता क्रम में ही रहेगी ।
 10. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे ।
 11. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ0 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे ।
 12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजकके द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण—पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण—पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
 13. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों /परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय—समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे ।
 14. संबंधित अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा । कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ—पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व—वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा ।
 15. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी /रूल्स /2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी /रूल्स /2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.06 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियम पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा—मकान किराया भत्ता , मंहगाई भत्ता , शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता , विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे । यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा ।
 16. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10/- रुपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण—पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज /सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनके सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी ।
 17. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी ।

18. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड-II के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी ।
19. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

यह आज्ञा प्रशासनिक विभाग से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में जारी की जाती है।

-४०-

(प्रदीप कुमार बोरड)


निदेशक

दिनांक:- 5/3/18

क्रमांक : संस्था/एफ 5(01)पवि/2018/ 28962-79

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया पर्यटन राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग सचिवालय, जयपुर को पत्र क्रमांक प. 1(6)प्र.सु./अनु.-3/2017 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में ।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पर्यटन विभाग, जयपुर।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (विकास), पर्यटन विभाग, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, पर्यटन विभाग, जयपुर।
10. एसीपी (उप निदेशक), पर्यटन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
11. लेखा शाखा पर्यटन विभाग, जयपुर।
12. प्रभारी अधिकारी, पर्यटक स्वागत केन्द्र, बीकानेर /अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि इन लिपिक ग्रेड-द्वितीय के अभ्यर्थियों/कार्मिकों के कार्यग्रहण करने पर कार्यग्रहण की सूचना मय कार्यग्रहण रिपोर्ट के इस कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित करावे।
13. संबंधित अभ्यर्थी |
14. व्यक्तिगत पत्रावली संबंधित।
15. रक्षित पत्रावली।
16. सूचना पट्ट।


(रिश्म शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)